न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

1. देवीदीन सिंह पुत्र स्व. बद्री सिंह आयु 45 वर्ष
2. विजेन्द्र सिंह पुत्र स्व. बद्री सिंह आयु 35 वर्ष

} जाति राजपूत निवासी जखौदा तहसील मण्डरायल जिला करौली

– अपीलाण्ट्स

बनाम

1. तहसीलदार मण्डरायल हाल तहसील कार्यालय मण्डरायल जिला करौली
2. जगदीश सिंह पुत्र स्व. बद्रीसिंह आयु 50 साल
3. मातादीन सिंह पुत्र स्व. बद्रीसिंह आयु 48 साल
4. बृजेश सिंह पुत्र स्व. भैरोंसिह आयु 18 साल
5. ऊषा देवी पत्नि स्व. भैरोंसिह आयु 45 साल

} समस्त जातियान राजपूत निवासीयान जखौदा तहसील मण्डरायल जिला करौली (राज0)

– रेस्पोण्डेण्ट्स

अपील विरूद्ध नामान्तकरण सं. 87 दिनांक 03.11.1995 ग्राम जखौदा पटवार हल्का धौरेटा तहसील मण्डरायल जिला करौली

निर्णय

दिनांक 21.10.2019

यह अपील भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार मण्डरायल द्वारा तस्दीक किये गये नामांतरकरण संख्या 87 दिनांक 03.11.1995 बाके ग्राम जखौदा पटवार हल्का धौरैटा तहसील मण्डरायल जिला करौली के विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलाण्ट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि विवादित नामान्तकरण संख्या 87 दिनांक 03.11.1995 ग्राम जखौदा पटवार हल्का धौरेटा तहसील मण्डरायल जिला करौली (राज.) परवर्स, आर्वीट्रेरी, विधि विरुद्ध एवं बिना किसी जांच पड़ताल किये दर्ज किया गया है जो हर हाल में खारिज किये जाने योग्य है। हम प्रार्थी अपीलांट्स की अपने भाई रेस्पोडेन्ट्स सं. 2 व 3 एवं स्व० भाई भैरोसिंह एवं स्व0 मां विमला की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नं 212 रकया 5 बीघा 16 विस्वा वाके ग्राम जखौदा पटयार हल्का धौरेटा तहसील मण्डरायल जिला करौली में स्थित है जिसमें हम प्रार्थी अपीलांट्स प्रत्येक का 1/5 वां हिस्सा है। उक्त आराजी हम प्रार्थी अपीलांट्स को अपने पिता स्व0 बद्रीसिंह की मृत्यु के पश्चात हमें जरिये विरासत प्राप्त हुई है। हमारे भाई भैरोसिंह की मृत्यु हो चुकी है उसके वारिस रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 हैं जिन्हें पक्षकार अपील बनाया गया है। हम प्रार्थी अपीलांट्स के पिता बद्रीसिंह की मृत्यू के पश्चात् पटवारी हल्का धौरेटा ने राजस्व कैम्प धौरेटा में बिना किसी जांच पड़ताल किये विधि विरुद्ध तरीके से हम प्रार्थी अपीलांट्स की गैरमौजूदगी में हमें सुनवाई का मौका दिये बिना पिता बद्रीसिंह की विरासत का नामान्तकरण खोलते समय मुझ प्रार्थी अपीलांट्स नं. 1 का नाम देवीदीन सिंह के स्थान पर देवेन्द्र सिंह तथा मुझ प्रार्थी अपीलांट्स नं 2 बृजेन्द्र सिंह के स्थान पर भूपेन्द्रसिंह गलत दर्ज कर दिया था और विधि विरुद्ध तरीके से पटवारी हल्का द्वारा खोले गये नामान्तकरण को गिरदावर आई0एल0आर0 द्वारा बिना जांच किये हुये ही उसकी प्रविष्टियों को सही मानकर अपने हस्ताक्षर नामांतकरण पर कर दिये तथा इसी नामांतरण को उसी दिन नायब

जिला कलक्टर
करौली

तहसीलदार मण्डरायल द्वारा स्वीकृत भी कर दिया गया जो आज तक विवादित है। नामान्तकरण की बिना जांच किये और हम प्रार्थी अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर दिये बिना रेस्पोडेन्ट को नामान्तकरण तस्दीक करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं था। विधि की अवज्ञा कर खोले गये नामांतकरण को हम प्रार्थी अपीलांट्स खारिज कराने के अधिकारी है। मुझ प्रार्थी अपीलांट्स नं. 1 का वास्तविक नाम देवेन्द्र सिंह ना होकर देवीदीनसिंह है तथा मुझे देवीदीन नाम से जन्म से ही गांव व परिवार में जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता है। मुझे देवेन्द्रसिंह नाम से कभी भी ना तो जाना गया और ना ही पहचाना गया। संपूर्ण रिकॉर्ड जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड एवं भामाशाह कार्ड में भी मुझ प्रार्थी अपीलांट्स का वास्तविक नाम देवीदीनसिंह ही दर्ज है। इसी प्रकार मुझ प्रार्थी अपीलांट्स नं. 2 का वास्तविक नाम भूपेन्द्र सिंह ना होकर बिजेन्द्र सिंह है। मुझे संपूर्ण गांव व परिवार में विजेन्द्र सिंह नाम से ही जाना पहचाना एवं पुकारा जाता है। मुझे भूपेन्द्रसिंह नाम से कभी भी ना तो जाना गया और ना ही पहचाना गया। संपूर्ण रिकॉर्ड जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड एवं भामाशाह कार्ड में भी मुझ प्रार्थी अपीलांट्स का वास्तविक नाम बिजेन्द्र सिंह ही दर्ज है । रेस्पोडेन्ट को बिना तथ्यों की जांच पड़ताल किये उक्त नामान्तकरण को तस्दीक करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं था। रेस्पोडेन्ट ने उक्त नामान्तकरण को तस्दीक करते समय तथ्यों की भारी भूल की है। प्रार्थी अपीलांट्स उक्त अशुद्ध, विधि विरूद्ध, विधिक प्रक्रिया का पालन किये बिना एवं त्रुटिपूर्ण खोले गये नामान्तकरण संख्या 87 दिनांक 03.11.1995 को अपास्त कराने के अधिकारी है। उक्त विधि विरुद्ध नामान्तकरण के गलत अंकन की जानकारी हम प्रार्थी अपीलांट्स को समय रहते नहीं हो सकी थी। हम प्रार्थी अपीलांट्स को उक्त त्रुटिपूर्ण नामान्तकरण की जानकारी प्रथम बार दिनांक 24.07.2019 को पटवारी हल्का धौरेटा से नकल जमाबन्दी लेने पर हुयी है। इसलिये जानकारी के दिवस से अपील नामान्तकरण अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। धारा 5 मियाद अधिनियम का शपथ पत्र पृथक से प्रस्तुत है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाने का निवेदन किया है।

प्रत्यर्थीगण संख्या 2 ता 5 ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि विवादित नामांतरकरण में अपीलाण्ट देवीदीन सिंह का नाम देवेन्द्रसिंह व अपीलाण्ट बृजेन्द्रसिंह का नाम भूपेन्द्रसिंह गलत दर्ज कर दिया गया है। अपील को स्वीकार कर नामांतरकरण को दुरूस्त करने का आदेश पारित किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

बहस उभयपक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया गया। अपीलाण्ट्स द्वारा प्रस्तुत भामाशाह कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आधार कार्ड एवं राशन कार्ड के अनुसार अपीलाण्ट्स का नाम देवीदीनसिंह व विजेन्द्र सिंह है। रेस्पोण्डेण्ट को विवादित नामांतरकरण में अपीलाण्ट का नाम संशोधन करने के आदेश पारित करने में कोई आपत्ति नहीं है। इसलिये हम अपीलाण्ट रिमाण्ड किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। नामांतरण संख्या 87 निर्णय दिनांक 03.11.1995 देवेन्द्रसिंह, भूपेन्द्रसिंह पि. बद्रीसिंह के नाम की हद तक निरस्त किया जाता है। शेष इन्द्राज बदस्तूर रहेंगे। प्रकरण तहसीलदार मण्डरायल को प्रतिप्रेषित कर आदेश दिये जाते हैं कि प्रकरण में पुनः जांच कर 2 माह में गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर
करौली